jab and Himachal Pradesh), and Ramaganga (Uttar Pradesh) with an outlay of Rs. 3.55 crores during the 3rd Plan period. The programme aims primarily at protecting the catchment areas by measures such as terracing, contour bunding, pasture development, afforestation etc. Under this programme an area of 21.760 acres has been brought under afforestation during the first two years of 3rd Plan.

Besides the above, afforestation measures intended to prevent soil erosion are also being carried out under the State Plan Schemes of these States.

रेलवे परिपत्र

१४८०. श्री तु० राम :
श्री बेसरा :
श्री योगन्द्र झा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने आदेश दिये हैं कि उस के कार्यालय से निकलने वाले सभी सर्कुलर अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में जारी किये जायें; और

(ख) सभी सर्कुलर आदि हिन्दी में जारी न करने के क्या कारण हैं और इस से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिये रेलवे बोर्ड क्या कर रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). रेलवे बोर्ड केकार्यालय से निकलने वाले परिपत्रों में केवल कर्मचारियों और प्रशासनिक हिदायतों से सम्बन्धित परिपत्रों को अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में जारी करना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में स्थिति अन्य मंत्रालयों की स्थिति के समान है और इस विषय पर सरकार की सामान्य नीति पर आधारित है।

मंत्रणा समितियों की कार्यवाही

१४८१. श्री तु० राम :
श्री बेसरा :
श्री योगन्द्र झा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेलवे विभागों को यह आदेश दिये हैं कि क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता मंत्रणा समितियों की कार्यसूचियां और कार्यवाही के विवरण अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी निकाले जायें ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से रेलवे प्रशासन उपरोक्त आदेशों का पालन कर रहे हैं ; और

(ग) क्या रेलव बोर्ड राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता मंत्रणा समिति की कार्यसूची और कार्यवाही का विवरण हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित कर रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) रेल प्रशासनों को हिदायत है कि जिन क्षेत्रों में हिन्दी बोली या आसानी से समझी जाती है वहां क्षेत्रीय और प्रादेशिक रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिमियों की कार्य-सूची और कार्यवाही अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी तैयार और परिप्रेषित की जाय ।

(ख) इस प्रक्रिया का अनुसरण पश्चिम, उत्तर, पूर्वोतर और पूर्वोतर सीमा रेलों की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों की बेठकों में किया जा रहा है। जहां तक प्रादेशिक/मण्डलीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों की बैठकों का सम्बन्ध है, इस प्रक्रिया का अनुसरण पश्चिम, मध्य, उत्तर, पूर्वोतर और पूर्वोतर सीमा रेलों के हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के कुछ मण्डलों में किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।